अति–आवश्यक

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेश नीति/2013/II/763 दिनांकः 25 मई, 2015

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः अकादमी सत्र 2015–16 की प्रवेश नीति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अकादमी सत्र 2015–16 की प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर की बेवसाईट पर अपलोड कर दी गई है, जिसे बेवसाईट से डाउनलोड कर लिया जावे।

भवदीय,

25/05/15

(डा. कमल नयन)
संयुक्त निदेशक(अकाद)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेश नीति/2013/II/763 दिनांकः 25 मई, 2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/ अजमेर/ कोटा/ बीकानेर/ जोधपुर/ उदयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने संभाग में स्थापित राजकीय महाविद्यालयों को अवगत करावें कि सत्र 2015–16 की प्रवेश नीति को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर की बेवसाईट से डाउनलोड कर लेवें।
2. बेवसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर। कृपया प्रवेश नीति 2015–16 को बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

25/05/15

(डा. कमल नयन)
संयुक्त निदेशक(अकाद)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

अशोक स्तम्भ
सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

प्रवेश नीति
एवं
शैक्षणिक सत्र–सारिणी

(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)

सत्र 2015–16

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**प्रवेश नीति 2015–16**	
	प्रथम भाग स्नातक पाठ्यक्रम	1–3
	द्वितीय भाग स्नातकोत्तर एवं एम.फिल. पाठ्यक्रम	4–7
	तृतीय भाग विधि संकाय में प्रवेश के नियम	8–9
	चतुर्थ भाग सामान्य नियम सभी संकायों हेतु	10–14
	पंचम भाग आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	15–27
	षष्ठम् भाग आन लाइन एडमिशन प्रोसेस व कॉमन एडमिशन फार्म	28–30
2.	**शैक्षणिक सत्र सारणी**	
	प्रथम भाग प्रवेश कार्यक्रम	31–32
	द्वितीय भाग सत्र की गतिविधियां, अवकाश एवं शिक्षण दिवस सारिणी	33–39
	तृतीय भाग एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट, रोवर रेंजर, वाई.डी.सी. इत्यादि गतिविधियों का विस्तार से विवरण	40

प्रथम भाग

स्नातक पाठयक्रम

1.1 कला/विज्ञान/वाणिज्य संकायों के पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम

तालिका 1.1
स्नातक पासकोर्स व आनर्स कोर्स के पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड

अभ्यर्थियों का प्रकार	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत	
	पासकोर्स	ऑनर्स
राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी (पंचम भाग के नियम–2 में परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	कला संकाय –45 वाणिज्यसंकाय **–45 विज्ञान संकाय –48	कला संकाय– –48 वाणिज्य संकाय**–48 विज्ञान संकाय –50
राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो।	60	60

*अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण 10+2 कक्षा है ।

**वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों हेतु चयनित महाविद्यालयों में बी.कॉम. के साथ कैट (सर्टिफिकेट कोर्स इन अकाउन्टिग टेक्निशियन्स) का आई.सी.ए.आई. (इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया) द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश का विकल्प भी उपलब्ध है।

तालिका 1.2
स्नातक पार्ट प्रथम में अभ्यर्थियों की संकायनुसार पात्रता

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय	उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का संकाय
कला/वाणिज्य	कला/वाणिज्य/विज्ञान संकाय
विज्ञान – गणित वर्ग	केवल विज्ञान संकाय– गणित समूह*
विज्ञान – जीव विज्ञान वर्ग	केवल विज्ञान संकाय जीव–विज्ञान समूह*

*अर्हकारी परीक्षा में गणित/जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी दोनों विषय समूहों के लिए आवेदन कर सकते है।

1.1.1 सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्वीकृत वर्ग (विधि संकाय को छोड़कर) में स्थान रिक्त रह जाये तो प्राचार्य ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे, जिनके कुल प्राप्तांक प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंकों से केवल एक अंक कम हो।

1.1.2 महाविद्यालय में समस्त प्रवेश योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त भी यदि किसी कक्षा/वर्ग में स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें आयुक्त/निदेशक, कॉलेज शिक्षा को सूचित करते हुए उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर रिक्त स्थानों को वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा।

1.1.3 कृषि पाठ्यक्रम से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियोंके विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जावे, परन्तु पात्रता तालिका 1.1 के अनुसार ही रहेगी।

1.1.4 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से 5 प्रतिशत घटा दिया जायेगा।

1.1.5 कला एवं वाणिज्य संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

1.1.6(i) स्नातक स्तर पर पार्ट प्रथम में किसी कक्षा/विषय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कमरहने की स्थिति में उस कक्षा/विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा।

(ii) महिला महाविद्यालय तथा कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जैनोलाजी, संगीत, सिन्धी, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, पंजाबी राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, फारसी एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषयों की स्नातक पार्ट प्रथममें विद्यार्थी संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा।

(iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों के लिए (i) एवं (ii) में निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।

1.1.7 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने एवं भारत में स्थाई वास चाहने के आधार पर राज्य में रह रहे पाक नागरिकों के बच्चों को महाविद्यालयों में प्रवेश की अनुमति है।

1.2. स्नातक ऑनर्स कोर्स पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम

1.2.1 स्नातक आनर्स कोर्स में प्रविष्ट विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 हैं।

1.2.2 ऑनर्स कोर्स में प्रविष्ट विद्यार्थी का पासकोर्स में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

1.2.3 यदि किसी विषय के ऑनर्स कोर्स में 20 से कम विद्यार्थी प्रविष्ट होंगे तो प्राचार्य द्वारा वह कोर्स उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा तथा विद्यार्थियों को अन्य वांछित कक्षाओं में प्रवेश देकर उनके द्वारा ऑनर्स कोर्स के लिए जमा करवाये गये शुल्क को समायोजित कर दिया जायेगा और इसकी सूचना प्राचार्य द्वारा आयुक्त/निदेशक, कॉलेज शिक्षा को दी जायेगी।

1.2.4 सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

1.3 कृषि पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश

कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.टी.) के आधार पर सम्बन्धित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के पार्ट प्रथम में प्रवेश देय हैं।

1.4 अन्तराल के पश्चात् प्रवेश

1.4.1 अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने पर नियमित/स्वयंपाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

1.4.2 अन्तराल संबंधी उपर्युक्त नियम महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे।

1.5 संकाय परिवर्तन/विषय परिवर्तन/स्नातक पासकोर्स से आनर्स कोर्स में परिवर्तन

1.5.1 किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में स्थान रिक्त हों तथा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के प्राप्तांक इच्छित संकाय/ विषय /आनर्स कोर्स में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्राप्तांकों से कम न हों।

1.5.2 संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता होने पर संभव होगा।

1.5.3 संकाय/विषय परिवर्तन के लिये अनुमति, केवल विषय संयोजन (Subject combination) में स्थान उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जावेगी। रिक्त स्थानों पर वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

1.5.4 विषय/संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि में 100/– रू. शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने होगे।

द्वितीय भाग

स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम

2.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के नियम

तालिका 2.1

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड

क्र. सं.	अभ्यर्थियोंका प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
(i)	राजस्थान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए./ एम.कॉम.	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	समस्त संकायों के अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण
		एम.एससी.	अर्हकारी परीक्षा* अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	विज्ञान सकांय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण
(ii)	राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी	सभी संकाय	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए.,/एम.कॉम.के लिये अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण तथा एम.एससी. के लिये विज्ञान सकांय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण

* अर्हकारी परीक्षा से आशय 10+ 2+ 3 से उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा है।

2.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।

2.1.2 स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु तालिका 2.1 (ii) के प्रत्याशियों तथा महिला प्रत्याशियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

2.1.3 जन जातीय उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

2.1.4 किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय महाविद्यालय में अर्हकारी स्नातक परीक्षा उपरान्त स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में नियमित प्रवेश की सुविधा दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक /स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) से अधिक नहीं दी जायेगी।

2.1.5 पूर्वार्द्ध में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उस विषय के पूर्वार्द्ध में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा ।

2.1.6 त्रिवर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य/ऑनर्स स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।

2.1.7 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर अन्तराल के पश्चात् उत्तरार्द्ध में प्रवेश के संबंध में नियम 1.4 में दी गई शर्तें यथावत लागू होंगी।

2.1.8 महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा अगले सत्र में बी.एड. करने के पश्चात् पुनः महाविद्यालय की स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) कक्षा में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी को टी.सी. के अभाव में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया जावेगा। विद्यार्थी से एक शपथ पत्र लिया जावेगा कि वह गत सत्र में बी.एड का नियमित विद्यार्थी रहा है तथा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर वह टी.सी. प्रस्तुत कर देगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

2.2 स्नातकोत्तर कक्षा में वर्ग/विषय/पेपर्स में स्थानों की सीमा

2.2.1 कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में अधिकतम 40 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

2.2.2 विज्ञान संकाय के विषयों के वर्ग में प्रवेश आयुक्तालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर दिया जायेगा ।

2.2.3 महिला महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विषयों में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 है।

2.2.4 वाणिज्य संकाय के सभी विषयों, कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, हिन्दी, गृह विज्ञान, जैनोलॉजी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, फारसी, पंजाबी एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों की पी.जी. पूर्वार्द्ध कक्षाओं में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 के स्थान पर 10 है।

2.2.5 जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।

2.2.6 स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में बिन्दु संख्या 2.2.4 में वर्णित विषयों के अलावा अन्य विषयों हेतु उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 20 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

2.2.7 सभी संकायों के पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का आवंटन वरीयता क्रम में किया जावेगा। किसी प्रश्न पत्र/शाखा में इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम होने पर वह वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

2.2.8 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकृत स्थानों की संख्या जहॉ 20 से कम है, वहॉ संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक कार्यभार नहीं बढ़ने की शर्त पर स्थानों की संख्या 20 तक की जा सकती है लेकिन किसी भी वैकल्पिक प्रश्न पत्र/शाखा में विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए।

2.3 योग्यता का निर्धारण

2.3.1 समान संकाय में प्रवेश हेतु

प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगाः–

(i) **स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर**

अभ्यर्थी के द्वारा स्नातक कोर्स के पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के श्रेणी (डिवीजन) निर्धारण हेतु मान्य समस्त विषयों के प्राप्तांकों के योग में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ कर स्नातक परीक्षा के कुल पूर्णांक तथा आवेदित विषय के उक्त परीक्षाओं के पूर्णाकों के योग के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जायेगा, भले ही ये परीक्षायें भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हों। जिन विषयों की प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की परीक्षा होती है, उनमें दोनों का योग स्वीकार्य होगा। तत्पश्चात यदि प्रवेशार्थी को कोई बोनस प्रतिशत देय है तो उसे जोड़कर कुल योग प्रतिशत से वरीयता का निर्धारण किया जायेगा। योग्यता सूची में दो छात्रों के अंकों का प्रतिशत समान होने की स्थिति में आवेदित विषय में अधिक प्राप्तांक वाले छात्र को वरीयता दी जायेगी।

(ii) **स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर**

अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद उपलब्ध प्रतिशत के आधार पर प्रवेश योग्यता सूची बनायी जायेगी। दोनों वर्गों की सम्मिलित योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

2.3.2 भिन्न संकाय में प्रवेश

(i) भिन्न संकायों से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्वीकृत स्थानों के 20 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ii) उक्त अभ्यर्थियों के लिए पात्रता प्रांप्ताक संबद्धक विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार होंगे।

(iii) भिन्न संकाय व समान संकाय के अभ्यर्थियों की पृथक–पृथक वरीयता सूची बनायी जावेगी।

(iv) समान संकाय के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थियों को 20 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर प्रवेश आयुक्तालय की पूर्वानुमति से दिया जा सकेगा।

(v) भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समान संकाय के पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

2.3.3 ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश

ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें पास कोर्स में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनर्स की उपाधि दी गई हो। सहायक (Subsidiary) विषय में प्रवेश लेने पर भी यह लाभ देय नहीं होगा।

2.3.4 यदि किसी अभ्यर्थी के अंक सुधार की परीक्षा के बाद अंकों में वृद्धि होती है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बढ़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे।

2.4 एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण

यदि किसी अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक विषयों की प्रवेश सूची में आ जाता है तो वह इनमें से किसी भी विषय में शुल्क जमा करा कर प्रवेश ले सकता है। यदि उसका नाम बाद में जारी की गयी किसी अन्य विषय की प्रवेश सूची में आता है तो उस विषय में 200.00 रूपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवाकर प्रवेश ले सकेगा और उसके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया शुल्क समायोजित हो जायेगा।

2.5 एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश

किसी भी संकाय/विषय की एम.फिल. कक्षा में प्रवेश हेतु संबंधित महाविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया अपनायेगें।

तृतीय भाग
विधि संकाय में प्रवेश के नियम

3.1 विधि स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के मानदण्ड

3.1.2 वह अभ्यर्थी जिसने किसी भी मान्य विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधिकला/विज्ञान/वाणिज्य/भेषज (मेडीसन)/ अभियांत्रिकी /नर्सिंग/पशु चकित्सा/कृषि अथवा शास्त्री/आचार्य उपाधि/ आयुर्वेदाचार्य/आयुर्वेद वाचस्पति उपाधि या इसके समकक्ष उपाधि न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण जिसे विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त उपाधि के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए मान्यता दी हो, निम्नांकित मानदण्डों के अनुसार विधि स्नातक के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का पात्र होगाः–

3.1.3 इस पाठयक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी ।
स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में से जिसमें प्राप्तांक अधिक हो वह प्रवेश हेतु मान्य होगे।

3.1.4 विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि के आधार पर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल स्थानों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3.1.5 स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि के लिये श्रेणी निर्धारण में सम्मिलित विषयों/प्रश्न पत्रों के अंक ही जोड़े जायेंगे।

3.1.6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) अभ्यर्थी को उक्त पाठ्यक्रम में उपवर्णित अर्हकारी परीक्षा में पात्रता अंक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

3.1.7 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।

3.1.8 अर्हकारी परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फोटो स्टेट प्रमाणित अंकतालिका के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश के लिए पात्र माना जा सकेगा। यह प्रावधान जिस विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन पद्धति लागू है उनके लिये ही मान्य होगा। अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेना होगा कि अर्हकारी परीक्षा में अंक कम हो जाने की स्थिति में वरीयता सूची से बाहर हो जाने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

3.1.9 विधि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के एक वर्ग में विद्यार्थियों के प्रवेश की अधिकतम सीमा 60 होगी।

3.1.10 किसी अभ्यर्थी की प्रवेश पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांकों से एक अंक कम होने पर भी उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

3.1.11 विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता/वरीयता निर्धारण में 5.5 से 5.6.7 में अंकित रियायतें एवं लाभ सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

3.1.12 बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार वे समस्त आवेदक जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा बुनियादी योग्यता पास करने के उपरान्त दूरस्थ अथवा

पत्राचार माध्यम से उत्तीर्ण की हो, तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होगे।

3.1.13 विधि संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में न्यूनतम 1 स्थान कश्मीरी विस्थापितों के बच्चों हेतु आरक्षित रहेगा।

3.1.14 विधि स्नातक की किसी भी कक्षा में कम उपस्थिति होने पर रोके गये विद्यार्थी को तीन वर्षो में प्रवेश का मात्र एक अवसर आगामी सत्र में दिया जा सकेगा। विधि प्रथम वर्ष में पुनः प्रवेश हेतु आवेदक छात्रों को इस सत्र की वरीयता सूची में उसके स्थानानुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।

3.2 विधि स्नातकोतर (एलएल.एम.) में प्रवेश की पात्रता

3.2.1 अर्हकारी परीक्षा (विधि स्नातक) में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।

3.3 विधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के संबंधित नियमों द्वारा शासित होंगे। सम्बद्धक विश्वविद्यालय में कोई प्रावधान नहीं होने की स्थिति में इनमें प्रवेश के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश (256) का पालन किया जायेगा।

चतुर्थ भाग

समस्त संकायों हेतु सामान्य नियम

4.1 प्रवेश अस्वीकार करने का अधिकार

प्राचार्य निम्नांकित स्थितियों में अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार कर सकता हैः–

4.1.1 जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो।

4.1.2 जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क जमा नहीं कराया हो।

4.1.3 जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।

4.1.4 जिसका प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालयों के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।

4.1.5 जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।

4.1.6 परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो।

4.1.7 जिसके विरुद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो।

4.1.8 जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।

4.1.9 जो प्रवेश प्रक्रिया के समय किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली–गलौच करने का दोषी हो।

4.1.10 प्रवेश हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण।

नोट– अभ्यर्थी के दस्तावेजों में शंका होने पर प्राचार्य विधि–सम्मत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होंगे।

4.2 राजस्थान का निवासी वह हैः–

4.2.1 जो राजस्थान में जन्मा हो (जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर)।

4.2.2 जिसके माता/पिता पिछले पांच वर्ष से राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहे हों। (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)

4.2.3 जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपक्रम अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।

4.2.4 जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।

4.2.5 जो सेना (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक व अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन स्थान पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को

राजस्थान में आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक/अधिकारी का पुत्र/पुत्री हो।

4.2.6 जो सेना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में कार्यरत एवं राजस्थान के मूल निवासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)

4.2.7 ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी से विवाह होने के पश्चात राजस्थान में रह रही है। (शपथ पत्र/विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

4.3 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश

4.3.1 नियमित प्रविष्ट विद्यार्थी यदि अनुत्तीर्ण होता है या परीक्षा में नहीं बैठ पाता है अथवा परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा उपस्थिति की न्यूनता के कारण परीक्षा देने से वंचित किया जाता है तो उसे उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

4.3.2 यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित छात्र के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय/अन्तर राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो तो नियम 4.3.1 लागू नहीं होगा तथा उसको उसी कक्षा में एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि ऐसे विद्यार्थी ने अगली कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए शुल्क जमा करवा दिया हो तो परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उसके शुल्क का समायोजन किया जा सकेगा।

4.4 पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश

4.4.1 पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक अन्तरिम प्रवेश ले सकेंगे। यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

4.4.2 पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में पात्रता के अनुसार अन्तरिम प्रवेश दिया जा सकेगा।

4.4.3 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता तथा योग्यता स्थान के निर्धारण के लिये पूरक परीक्षा के विषय/पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के बजाय न्यूनतम उत्तीर्णांक जोड़े जायेंगे।

4.4.4 पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर अभ्यर्थी का अन्तरिम नियमित प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा कोई शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

4.5 पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप या अन्य किसी कारण से विलम्ब से परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में प्रवेश

पुनर्मूल्याकंन या अन्य किसी कारण से परीक्षा परिणाम में संशोधन होने पर विद्यार्थी को सम्बद्धक विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि या उसमें प्रदान की गई शिथिलता के आधार पर महाविद्यालय में प्राचार्य के स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले यदि उस सत्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा दिया हो तथा इसे वापिस नहीं लिया हो तो पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने पर उसके उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे नियमानुसार उस कक्षा में प्रवेशित माना जा सकेगा।

4.6. स्वयंपाठी अभ्यर्थियों का प्रवेश

तालिका 4.1

4.6.1 स्नातक स्तर की पार्ट द्वितीय/तृतीय कक्षाओं में स्वयंपाठी छात्रों की प्रवेश पात्रता

प्रवेश कक्षा	आवेदक की पात्रता	प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय	स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में अर्हकारी परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण ।	अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक

4.6.2 आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों पर नियम 5.1 की शर्ते लागू होगी।

4.6.3 पार्ट प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में प्रवेश देय नहीं होगा।

4.6.4 स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरार्द्ध में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

4.6.5 महिला महाविद्यालयों में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी तथा स्थान रिक्त होने पर उन्हें उत्तीर्णाक तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

4.6.6 स्वयंपाठी विद्यार्थियों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकेगा जबकि –

(i) उस कक्षा के नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त स्थान रिक्त हो तथा वैकल्पिक विषय समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।

(ii) महाविद्यालय में शिक्षण के लिए भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हो।

4.7 **स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश**

4.7.1 एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं होगा।

4.7.2 भिन्न–भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी स्थानान्तरण की अनुमति माता–पिता/ संरक्षक के स्थानान्तरण या महिला अभ्यर्थी के विवाह होने जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी। माता–पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा।

4.7.3 स्थानान्तरित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण स्थान व निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे।

4.7.4 संरक्षक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश तभी देय होगा जब आवेदक के प्राप्तांक उस कक्षा में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के अंकों से कम नहीं हों तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो।

4.7.5 पार्ट द्वितीय व तृतीय स्नातक कक्षाओं में स्थानान्तरण प्रवेश पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।

4.8 **समान योग्यता स्थान होने पर प्राथमिकता**

4.8.1 यदि किसी कक्षा/विषय में बोनस अंक प्राप्त अभ्यर्थी और बोनस रहित अभ्यर्थी दोनों के वरीयता सूची में समान प्रतिशत या परसेनटाईल हों तो उनमें बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

4.8.2 वरीयता सूची में प्राप्तांक/परसेनटाईल समान होने पर माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

4.8.3 यदि माध्यमिक परीक्षा के प्राप्तांक भी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

4.9 **स्थान (सीटें) रिक्त रहने के स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी निर्देश**

4.9.1 समस्त योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट हो जाने तथा कोई भी विचाराधीन आवेदन पत्र लम्बित ना होने की स्थिति में किसी कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर प्राचार्य श्रेणीवार (कैटेगरीवाईज) रिक्त स्थानों की सूचना का विस्तृत प्रचार–प्रसार कर सात दिवस तक नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकेगें तथा रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया अपनायेगे।

4.10 **अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात महाविद्यालय में पुनः प्रवेश**

किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात यदि विद्यार्थी अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश होने के बाद टी.सी. लेकर महाविद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा कतिपय कारणवश उसका प्रवेश अन्य संस्था में नहीं होने पर वह पुनः उसी सत्र उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में उसे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 45 दिनों की अवधि में प्रवेश दिया जा सकेगा ।

4.11 प्रवेश नीति 2015–2016 के नियमों में किसी प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियम/ परिनियम / ऑर्डिनेन्स मान्य होंगे। प्रवेश देते समय शैक्षणिक सत्र सारणी में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये। उपर्युक्त नियमों की क्रियान्विति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा नियमों की व्याख्या में अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति होने पर आयुक्तालय/निदेशालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। नियमों के संबंध में आयुक्त/निदेशक, कॉलेज शिक्षा का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।

4.12 राज्य अधिसूचना क्रमांक प.12(22)वित्त/कर/10–98 दिनांक 9–3–10 तथा कार्यालय, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7(39)जन/10/5099–5132 दिनांक 10–4–10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के प्रायोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों पर संदेय स्टाम्प शुल्क का परिहार (माफ) किया गया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।

पंचम भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

5.1 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर)/विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी

5.1.1 विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोडकर) /विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

5.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में विशेष पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 1 प्रतिशत का अलग से स्थान देय हैं।

5.1.3 स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

5.1.4 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.1.5 ओ.बी.सी. संबंधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11 ( ) ( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/ 7376–409 दि. 24.01.2013)

5.1.6 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में बिन्दु संख्या 5.1.1 से 5.1.3 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी।

5.1.7 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

5.1.8 5.1.7 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त शेष आरक्षित के अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.1.9 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।

5.1.10 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क

जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

5.1.11 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

5.1.12 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों को न्यूनतम उर्त्तीणांक पर संबंधित जिले के महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा।

5.1.13 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।

5.2 **विकलांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)**

5.2.1 मूक, बधिर एवं BLIND छात्र/छात्रओं को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में उर्त्तीणाक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जावेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।

5.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 3 प्रतिशत स्थान विकलांग अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।

5.2.3 स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. मेंआरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि को इसे सामान्य सूची के प्रतिक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

5.2.4 इस नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।

5.2.5 विकलांग अभ्यर्थी के लिए इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश पाने हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस हेतु पुनर्वास केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा किन्तु जहां पुनर्वास केन्द्र नहीं है वहां सी.एम. एण्ड एच.ओ. अथवा इस हेतु अन्य अधिकृत समकक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

5.3 **शिक्षक अभ्यर्थी**

प्रत्येक विषय की एम.एससी. पूर्वार्द्ध कक्षा में एक स्थान शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहेगा, जिसका मनोनयन निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह प्रवेश की न्यूनतम पात्रता रखता हो, अन्यथा इस आरक्षित स्थान को सामान्य स्थान मानकर प्रवेश की अन्तिम तिथि को सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया जायेगा।

5.4 **प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल*(CAPF) कर्मियों के पुत्र/पुत्री को प्रवेश हेतु देय लाभ**

	Eligible Categories	Benefits
(i)	• Wards of personnel killed in action. • Wards of personnel disabled in action and boarded out from service/died while in service with death attributable to military service/ disabled in service and boarded out with disability attributable to military service. • Wards of personnel awarded Gallantry award. • Wards of awarded Ex servicemen.	Reservation of 03% seats
(ii)	प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 03 प्रतिशत की वृद्धि
(iii)	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश

*CAPF में CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, RPF, NSGसेवाओं के कर्मी सम्मिलित है।

5.5 **कश्मीरी विस्थापित व कश्मीरी निवासी**

5.5.1. प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में एक प्रतिशत स्थान कश्मीरी विस्थापितों के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।

5.5.2 कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अन्तिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को अन्तिम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश देने के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रवेश सीटों को 5 प्रतिशत तक बढाया जा सकेगा।

5.5.3. इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को पात्रता प्रदान करने हेतु 3 प्रतिशत अंकों का लाभ देय होगा। यह लाभ वरीयता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए नहीं होगा।

5.5.4 कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विस्थापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5.5.5. प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक मानदण्ड की सीमा तक वरीयता सूची के कट ऑफ में 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।

5.5.6. प्रवेश के लिए राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

5.5.7 तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने हेतु 1प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करते है तो अन्तिम तिथि के बाद इन स्थानों को सामान्य भर्ती से भरा जा सकेगा।

5.5.8 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ1–1/2012/एसए–3 दिनांक 10.03.15 के अनुक्रम में जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध विशेष छात्रवृति योजना के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय की स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त कश्मीरी निवासियों के लिए दो स्थान (अधिसंख्यक) उपलब्ध होगे। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर वरीयता अनुसार प्रवेश देय होगे।

5.6 **अभ्यर्थी को खेलकूद/सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ**

अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय /महाविद्यालय स्तर पर विगत तीन सत्रों में खेलकूद/सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों परिलाभ क्रमशः स्नातक पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रवेश के समय ही दिया जावेगा।

5.6.1 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देयलाभ
अ	भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व	
ब	राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उप विजेता दल की विश्वविद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का	न्यूनतम उत्तीर्णांक

	प्रतिनिधित्व अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	प्रतिशत पर प्रवेश
स	विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	
द	अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व	5 प्रतिशत
य	सम्बन्धित खेल के सरकार द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	5 प्रतिशत
र	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राजकीय खेलकूद प्रतियोगिता अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद अथवा संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान	3 प्रतिशत
ल	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद में स्कूल का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद या संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	2 प्रतिशत
व	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजन स्तरीय प्रतियोगिता में रीजन का प्रतिनिधित्व	3 प्रतिशत
श	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजन स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व	2 प्रतिशत

5.6.2 अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा

क्र.सं.	स्तर	जिनका प्रमाण–पत्र मान्य होगा
1.	अ,ब,स	एस.जी.एफ.आई. (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया) भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित सम्बन्धित विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद, राज्य क्रीड़ा परिषद
2.	द	विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद
3.	य	राज्य क्रीड़ा परिषद, भारतीय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा अधिकृत संस्थायें
4.	र तथा ल	उप निदेशक स्तर के अधिकारी / विश्वविद्यालयीय क्रीड़ा परिषद / निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा हस्ताक्षरित आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त, आयुक्तालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
5.	व तथा श	आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त एवं उप निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे:–

1. एथलेटिक्स (क्रॉस कन्ट्री दौड़ सहित)
2. जलीय खेल (स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पोलो)
3. बैडमिन्टन
4. बास्केटबॉल
5. शतरंज
6. क्रिकेट
7. साइकिलिंग
8. फुटबाल
9. हॉकी
10. कबड्डी
11. खो–खो
12. टेबिल टेनिस
13 टेनिस
14 वॉलीबॉल
15. हैण्डबाल
16. कुश्ती
17 भारोत्तोलन
18. जिमनास्टिक
19. जूडो
20. मुक्केबाजी
21. वॉलक्लाइम्बिंग
22. तीरन्दाजी
23. निशानेबाजी
24 सॉफ्टबॉल

5.6.3 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र.	सीनियर डिवीजन/विंग (विगत तीन वर्षो में) जूनियर डिविजन/विंग (पॉच वर्षो में)	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देयलाभ
अ	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व।	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार।	

स	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना।	
	गणतंत्र दिवस कैम्प	
	अखिल भारतीय एडवांस लीडरशिप कैम्प	
	पैरा जम्पिंग कोर्स	5 प्रतिशत
	आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना।	
	विद्यार्थी विंग में सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	विद्यार्थी विंग में बी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	जूनियर डिवीजन विद्यार्थी ए सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ	
	स्नो–स्कीइंगकोर्स	
	सीनियर अण्डर आफिसर/ सीनियर कैडिट कैप्टन/कैडिट फ्लाईट सार्जेन्ट रैंक पर नियुक्ति	
द	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर –	
	गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय स्थान	
	पैरा जम्पिग कोर्स में स्काई डाउविंग कोर्स पूर्ण कर्त्ता कैडेट	
	एडवेन्चर माउन्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेनेयरिंग कोर्स पूर्ण कर्त्ता कैडेट	6 प्रतिशत
	सी सार्टिफिकेट ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
	बी सार्टिफिकेट ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
	ए सार्टिफिकेट ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
य	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर।	
1.	छात्र/छात्रा विंग का सी प्रमाण–पत्र सी ग्रेड के साथ	
2.	छात्र/छात्रा विंग का बी प्रमाण पत्र सी ग्रेड के साथ	
3.	जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए प्रमाण–पत्र सी ग्रेड के साथ।	
4.	ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प	3 प्रतिशत
5.	ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स	

6.	नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स	
7	वॉटर स्कीइंग कोर्स	
8.	अण्डर ऑफीसर/कैडिट कैप्टन/ कैडिट सार्जेन्ट रैंक पर नियुक्ति	

5.6.4 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर पर्वतारोहण, शिलारोहण एवं वॉलक्लाइम्बिंग में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र.	**उपलब्धि (विगत तीन सत्रों में)**	**प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ**
अ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुंच	6 प्रतिशत
स	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स	5 प्रतिशत
द	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स	3 प्रतिशत

प्रमाण पत्रों की मान्यता के लिए बिन्दु 5.6.2 (3) में दिया गया नियम लागू होगा।

5.6.5 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र.सं.	**उपलब्धि (विगत तीन सत्रों में)**	**प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ**
अ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय /राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक	न्यूनतम उत्तीर्णाक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपस्थिति एवं 240 घंटों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	6 प्रतिशत

स	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	5 प्रतिशत
द	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	3 प्रतिशत

5.6.6 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर रोवर, रेन्जर, स्काउट, गाइड में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र.सं.	उपलब्धि (विगत तीन सत्रों में)	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर /रेंजर पुरस्कार प्राप्तकर्ता।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
ब	राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड अथवा निपुण रोवर/रेंजर बैज प्राप्तकर्ता जो राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/ उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता का विजेता रहा हो। (गत 3 वर्ष की अवधि में)	5 प्रतिशत
स	तृतीय सोपान स्काउट/गाइड अथवा प्रवीण रोवर/रेंजर अथवा स्टेट रोवरमूट/रेंजर मीट में भाग लिया हो, पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/ उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्वकर्ता को। (गत तीन वर्ष की अवधि में)	3 प्रतिशत

5.6.7 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	6 प्रतिशत
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/ राज्य का प्रतिनिधित्व। उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/ सम्बद्धक कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	5 प्रतिशत
द	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	3 प्रतिशत

5.6.8 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब की गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब में सत्र पर्यन्त सहभागिता एवं एक विस्तार कार्यक्रम में उपस्थिति का प्रमाण–पत्र होने पर	1 प्रतिशत
ब	राज्य मानवाधिकार आयोग या अधिकृत संस्थाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य का प्रमाण पत्र होने पर	2 प्रतिशत

5.6.9 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कॉलेज शिक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)
ब	महिला अभ्यर्थी (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित संकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय में उपलब्ध न हो।)	

5.7 नियम संख्या 5.6.1 से 5.6.8 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं हैं।

5.8 ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों ओर से स्केन कर अपलोड करना होगा। कॉमन एडमिशन फार्म के साथ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति बाद में स्वीकार नहीं होगी। अन्तरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.9 उपर्युक्त नियम 5.6.1 से 5.6.8 में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा, चाहे वह कितनी भी गतिविधियों में सम्मिलित क्यों न हो।

5.10 उक्त उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही बार लाभ देय होगा।

षष्ठ भाग
प्रवेश प्रक्रिया

6.1 स्नातक पार्ट प्रथम के लिए ऑन लाइन एडमिशन प्रोसेस (OAP) व कॉमन एडमिशन फार्म (CAF)

6.1.1 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल, सहज, सुगम व पारदर्शी बनाने की दृष्टि से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अकादमिक सत्र 2013–14 में 63 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु राज्य में पहली बार *ऑन लाइन' एडमिशन प्रोसेस* लागू किया गया। इस कार्य हेतु आयुक्तालय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की सहायता से विकसित किया गया। 66 अन्य राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश आवेदन प्रपत्रों की विविधता को समाप्त करते हुए *कॉमन एडमिशन फार्म* लागू किया जो विभागीय वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया। इस पहल का विस्तार करते हुए सत्र 2014–15 में 110 राजकीय महाविद्यालयों में *ऑन लाइन* प्रवेश प्रक्रिया लागू की गई। सत्र 2015–16 में शेष राजकीय महाविद्यालयों को भी ऑन लाईन एडमिशन प्रोसेस से जोडा जायेगा।

6.1.2 ऑन लाइन एडमिशन प्रोसेस में विभाग के पोर्टल http://dce.rajasthan.gov.inपर स्नातक पार्ट प्रथम में*ऑन लाइन* प्रवेश देने वाले राजकीय महाविद्यालयों की सूची तथा ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र कार्यक्रमानुसार उपलब्ध करवाया जायेगा। प्रवेश हेतु *नियम, तिथियां आदि प्रवेश नीति* के अनुसार होगी। समस्त राजकीय महाविद्यालय अपने महाविद्यालय की अद्यतन विवरणिका की सॉफ्टकॉपी एडमिशन पृष्ठ पर उपलब्ध करवायेगें। विवरणिका के अतिरिक्त आवेदकों की सुविधा हेतु महाविद्यालय में उपलब्ध विषय, विषय संयोजन, उपलब्ध सीटों की संख्या तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों/वर्गों आदि के साथ शुल्क का विवरण एवं महाविद्यालय तथा नोडल अधिकारी का सम्पर्क फोन/मोबाइल भी महाविद्यालय के *एडमिशन* वेबपृष्ठ पर उपलब्ध करवायेगें।

6.1.3 *ऑनलाइन* प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए निर्देश एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध करवाये जायेगें तथा आवेदकों द्वारा इन निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा।

6.1.4 *ऑनलाइन* एडमिशन प्रक्रिया व कॉमन एडमिशन फार्म के माध्यम से प्रवेश देने वाले राजकीय महाविद्यालय अन्तरिम/अन्तिम (Provisional/Final) प्रवेश सूचियां महाविद्यालय के एडमिशन वेबपृष्ठ पर उपलब्ध करवायेगें।

6.1.5 महाविद्यालयों में कक्षानुसार उपलब्ध सीटों के लिए प्रथम अन्तरिम सूची वरीयता क्रम में जारी की जायेगी । अन्तरिम प्रवेश सूचियों में से निर्धारित

तिथि तक शुल्क नहीं जमा कराने के कारण रिक्त रहे स्थानों की पूर्ति हेतु, अन्य वर्णित शर्तो की पालना करते हुए अन्तरिम प्रवेश सूचियॉ जारी की जायेंगी जिसकी सूचना प्राचार्य सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे ।

6.1.6 प्रथम प्रवेश सूची जारी होने के पश्चात् ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं किये गये है अर्थात वे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण है तथा जिन्होंने किसी भी प्रकार का बोनस/ आरक्षण आदि हेतु आवेदन नहीं किया है वे सीधे ही ई–मित्र/नेट बैकिंग/क्रेडिट–डेबिट कार्ड के माध्यम से फीस जमा करवा सकते है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपनी मूल टी.सी./सी.सी. महाविद्यालय से परिचय पत्र (I-Card) प्राप्त करते समय प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कोई अतिरिक्त देय फीस भी महाविद्यालय वसूल सकेगा।

6.1.7 प्रथम प्रवेश सूची में आरक्षण/बोनस आदि के दावे प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को सूची में नाम आने के पश्चात् पहले महाविद्यालय में टी.सी. /सी.सी व अन्य दस्तावेज प्रमाणित प्रस्तुत करने होगे तथा इसके पश्चात् ही वे अभ्यर्थी फीस जमा करवा सकेगे।

6.1.8 द्वितीय प्रवेश सूची की घोषणा के साथ ही शेष समस्त अभ्यर्थियों की वरीयता सूची भी जारी कर दी जावेगी तथा प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को भी डी.डी. के द्वारा अन्तरिम प्रवेश शुल्क, द्वितीय प्रवेश सूची की अन्तिम तिथि तक जमा करवाना होगा। प्रतीक्षा सूची में से शुल्क जमा करवा चुके ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्रवेश के लिए स्थान नहीं बना पायेगें उनके द्वारा डी.डी. के रूप में जमा करवाया गया शुल्क पुनः लौटा दिया जायेगा।

6.2 परसेन्टाइल आधारित प्रवेश प्रक्रिया

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1(6)शिक्षा–3/2014/पार्ट दिनांक 10.06.2014 एवं आयुक्तालय के आदेश एफ 7(4) अकाद/निकाशि/ प्रवेशनीति/2014–15/85 दिनांक 11.06.2014 की अनुपालना में सत्र 2015–16में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश प्राप्तांकों के स्थान पर वरीयता निर्धारण के लिए परसेन्टाइल पद्वति पर आधारित होगा, जिसके तहत अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर फलित परसेन्टाइल में देय बोनस को जोड़ कर वरीयता सूचियॉ प्रकाशित की जावेगी।

6.3 स्नातक (पार्ट द्वितीय व तृतीय)/स्नातकोत्तर स्तर पर एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया

विधि संकाय सहित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू है। स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में नियमितविद्यार्थियों के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने संबंधी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है । इसके तहत अभ्यर्थी को सम्बन्धित पाठ्यक्रम में एक बार ही प्रवेश के लिए आवेदन करना होता है। एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक पार्ट प्रथम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेशित विद्यार्थी को पात्रता शर्तें पूरी करने पर क्रमशः स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करना होता है तथायदि गत सत्र का नियमित विद्यार्थी वर्तमान सत्र में निर्धारित तिथि 31 जुलाई तक सत्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा देता है, तो अन्य पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जावेगा। यह

व्यवस्था महाविद्यालय के पूर्व छात्र (एक्स स्टूडेन्ट) पर भी लागू होगी। यह व्यवस्था निम्नलिखित स्थितियों में उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जो :–

(i) निर्धारित तिथि तक वर्तमान सत्र का शुल्क जमा नहीं करवाते।

(ii) पूर्व कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित होते हैं।

(iii) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करवा लें।

(iv) स्वयं लिखित में प्रवेश लेने से स्पष्ट इन्कार कर दें।

(v) प्रवेश नीति के चतुर्थ भाग के बिन्दु 4.1 में उल्लेखित अच्छे आचरण की शर्तें पूर्ण नहीं करते हों।

(vi) उपस्थिति की न्यूनता के कारण नियमित से स्वयंपाठी घोषित हुए हों।

(vii) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए दण्डित किया गया हो।

6.3.1 सभी प्रवेश योग्य विद्यार्थियों को दिनांक 31 जुलाई 2015 तक महाविद्यालय कार्य दिवसों में वांछित फीस का ड्राफ्ट अथवा फीस राशि/सम्बन्धित महाविद्यालय के कार्यालय/महाविद्यालय की विकास समिति कोष में जमा करवानी होगी। अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई राशि आवेदन करने पर वापिस लौटा दी जाएगी।

6.3.2 यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (आय प्रमाण पत्र/नॉन क्रीमिलेयर आदि) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें। प्रमाण पत्र/पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा एवं इसके उपरान्त यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

6.3.3 महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय में स्वयंपाठी /अन्तराल के उपरान्त /स्थानान्तरण के कारण प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र वांछित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना होगा। इन आवेदन पत्रों पर नियमानुसार प्राचार्य विचार कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगे ।

6.3.4 स्नातक/स्नातकोत्तर/एम. फिल. व अन्य संबन्धित कक्षा की अन्तरिम प्रवेश सूची में अभ्यर्थी का नाम आ जाने के बाद उसके द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थियों (डीफाल्टर्स) को किसी भी स्थिति में प्रवेश देय नहीं होगा।

6.3.5 किसी कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

6.3.6 अभ्यर्थी द्वारा इन्टरनेट से ली गई अंकतालिका स्वयं सत्यापित कर महाविद्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर ही वह प्रवेश वरीयता निर्धारण हेतु मान्य होगी। अंकतालिका व मूल टी.सी./सी.सी. अंतरिम प्रवेश होने के पश्चात् शुल्क के साथ जमा करानी होगी।

6.3.7 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

शैक्षणिक सत्र सारिणी 2015–16

प्रथम भाग

प्रवेश कार्यक्रम

(अ) स्नातक पार्ट प्रथम

1. ऑन लाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	सोमवार	01.06.15
2. आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	शुक्रवार	19.06.15
3. प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची का प्रकाशन	सोमवार	22.06.15
4. अन्तरिम प्रवेश सूची के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	शनिवार	27.06.15
5. प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची एवं रिक्त स्थानों के लिए द्वितीय अन्तरिम सूची तथा शेष समस्त प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की वरीयता सूचियों का प्रकाशन	सोमवार	29.06.15
6. शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ	बुधवार	01.07.15
7. द्वितीय सूची के अभ्यर्थियों का शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	गुरूवार	02.07.15
8. द्वितीय सूची के साथ प्रकाशित प्रतीक्षा सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में डी.डी. के माध्यम से शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	गुरूवार	02.07.15
9. संकाय/विषय परिवर्तन की अंतिम तिथि	गुरूवार	30.07.15 तक
10. समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	शुक्रवार	31.07.15 तक

(ब) स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध)व विधि पार्ट प्रथम

1. कॉमन एडमिशन फार्म/आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	सोमवार 15.06.15
2. आवेदन पत्र जमा/प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	(अ) गुरूवार 25.06.15 तक या (ब) सम्बद्धक विश्वविद्यालय की अर्हकारी (संबंधित संकाय) परीक्षा का परिणाम घोषित होने के **7** दिन बाद तक (जो भी बाद में हो)
3. प्रथम प्रवेश सूची का प्रकाशन	शुक्रवार 26.06.15 या क्र.सं. ब–2 में उपलब्ध तिथि के **2** दिन बाद तक।
4. प्रवेश सूची के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	मंगलवार 30.06.15 या क्र.सं. ब–3 में उपलब्ध तिथि के **3** दिन बाद तक

5. प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन	बुधवार 01.07.15 या ब–4 में उपलब्ध तिथि के 1 दिन बाद तक।
6. शिक्षण कार्य प्रारम्भ	बुधवार 01.07.15 या क्र.सं. ब–5 में उपलब्ध तिथि के अगले दिन से।

(स) एकल प्रवेश प्रक्रिया

1.	स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध/एक्स स्टूडेन्ड द्वारा शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि	15.07.15 बुधवार
2.	स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध/एक्स स्टूडेन्ड द्वारा विलम्ब शुल्क 200/–रूपये के साथ शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि	30.07.15 गुरूवार

द्वितीय भाग

सत्र की गतिविधियां एवं अवकाश

1.	शैक्षणिक सत्र आरम्भ	बुधवार 01.0.7.15
2.	सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य प्रारम्भ	
	(अ) समस्त स्नातक कक्षायें एवं स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध)	बुधवार 01.0.7.15
	(ब) स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं विधि	प्रवेश कार्यक्रम (ब) के बिन्दु 6 अनुसार
3.	छात्रसंघ चुनाव	**अलग से आदेश जारी किये जायेगे**
4.	छात्रसंघ का उद्घाटन	31.12.15 तक
5..	शैक्षणिक कार्यभार भेजने की अन्तिम तिथि	सोमवार 31.08.15
6.	नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	विश्वविद्यालय के अनुसार
7.	पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	विश्वविद्यालय के अनुसार
8.	प्रथम कक्षा टेस्ट	सितम्बर माह में
9.	दशहरा अवकाश	बुधवार 21.10.15 से शनिवार 24.10.15 तक
10.	विश्वविद्यालय नामांकन	विश्वविद्यालय के अनुसार
11.	स्वयंपाठी छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	विश्वविद्यालय के अनुसार
12.	दीपावली अवकाश	शनिवार 07.11.15 से शनिवार 14.11.15 तक
13.	दूसरा कक्षा टेस्ट	दिसम्बर माह में
14.	शीतकालीन अवकाश	गुरूवार 24.12.15 से गुरूवार 31.12.15 तक
15.	शैक्षणिक भ्रमण, अन्य सह–शैक्षणिक गतिविधियां तथा सांस्कृतिक सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह।	सोमवार 15.02.16 तक
16.	एन.एस.एस. / एन.सी.सी. एवं रोवर स्काउट गाइड के शिविरों का आयोजन एवं अन्य गतिविधियां	वर्ष पर्यन्त
17.	प्री परीक्षा	सोमवार 18.1.16 से
18.	वार्षिक परीक्षाओं का प्रारम्भ	
	(क) स्नातक	
	स्वयंपाठी छात्रों हेतु	विश्वविद्यालय के अनुसार
	नियमित छात्रों हेतु	विश्वविद्यालय के अनुसार
	(ख) स्नातकोत्तर	विश्वविद्यालय के अनुसार
19.	सत्र का अंतिम कार्य दिवस	शनिवार 30.04.16
20.	परीक्षा परिणामों की घोषणा	विश्वविद्यालय के अनुसार
21.	नवीन सत्रारम्भ	शुक्रवार 01.07.16

टिप्पणियांः—

1. राज्य के किसी महाविद्यालय द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी. गतिविधियों को छोड़कर कोई भी सह—शैक्षणिक अथवा शिक्षणेतर गतिविधियां दिनांक 15.02.16 के पश्चात् आयोजित नहीं की जायें।
2. उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक सत्र सारणी में महाविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये।
3. समस्त प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 29.02.16 से पूर्व अथवा विश्वविद्यालय समय सारणी के अनुसार आयोजित कर ली जाएं।
   प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान कक्षाएं यथावत चलेंगी।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक हैं।
5. कृषि संकाय के लिए महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक सत्र लागू होगा तथा सेमेस्टर योजना के अतिरिक्त वार्षिक परीक्षा योजना के लिए निदेशालय द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र सारणी ही लागू रहेगी।
6. महाविद्यालय उपरोक्त शैक्षणिक सत्र सारणी के कार्यक्रमों की समयबद्धता को अपने स्तर पर संशोधित नहीं करे ।

सांस्कृतिक गतिविधियों का कलेण्डर सत्र 2015—16

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	महाविद्यालय स्तर पर (अक्टूबर/ नवम्बर माह में आयोजन)	राज्य स्तर पर (दिसम्बर माह में आयोजन)
1. 2.	एकल गीत (क) शास्त्रीय (ख) सुगम समूह गीत	समस्त राजकीय महाविद्यालयों में बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की गतिविधियां अक्टूबर/नवम्बर माह में आयोजित कर राज्य स्तर के लिए प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगी को चयनित किया जाये ।	1,2 एकल एवं समूह गीत प्रतियोगिता राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर में आयोजन
3.	वाद्य संगीत		3. वाद्य संगीत प्रतियोगिता राजकीय महाविद्यालय कोटा में आयोजन
4.	एकल नृत्य (क) शास्त्रीय (ख) लोक नृत्य		4. एकल नृत्य प्रतियोगिता राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलवर में आयोजन

5.	समूह नृत्य		5. समूह नृत्य प्रतियोगिता राजकीय. कन्या महाविद्यालय, भरतपुर में आयोजन

1. आयोज्य संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतियोगिता के संबंध में राजकीय महाविद्यालयों को भागीदारी हेतु आमंत्रित किया जायेगा। टीम प्रतिस्पर्द्धा में प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या 03 एवं अधिकतम 05 होगी तथा इस संख्या से कम प्रतिभागी होने पर उस महाविद्यालय की भागीदारी स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. आयोजन संस्था 200/— रूपये प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी।
3. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जायेंगें।
4. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए./एम.पी./स्थानीय प्रतिनिधि से ली जा सकती है।
5. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात् की जा सकेगी।

साहित्यिक गतिविधियों का कलेण्डर सत्र 2015—2016

जिला स्तरीय अन्तर महाविद्यालय वाद—विवाद, क्विज एवं काव्य पाठ (स्वरचित) प्रतियोगितायें तालिकानुसार आयोजित की जावेगी

संभाग	जिले जिनके राजकीय महाविद्यालय भाग लेंगे	भाग लेने वाले महाविद्यालयों की संख्या	स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिनमें गतिविधियां आयोजित होंगी	राज्य स्तर प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय (नवम्बर / दिसम्बर में आयोजित होगी)
अजमेर	अजमेर, भीलवाडा, नागौर टोंक	30	भीलवाडा	वाद विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता राजकीय महाविद्यालय जयपुर में तथा काव्य पाठ (स्वरचित) राजकीय
भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर	22	भरतपुर	
बीकानेर	बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चूरू	23	श्रीगंगानगर	
कोटा	कोटा, बारां झालावाड़, बूंदी	20	कन्या कोटा	

जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू अलवर	44	दौसा	महाविद्यालय, किशनगढ में आयोजित होगी।
उदयपुर	उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ	26	कन्या उदयपुर	
जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर	32	जालौर	

नियमः—

1. आयोजन संस्था 200/— रूपये प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी।
2. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जावें।
3. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए./एम.पी./स्थानीय प्रतिनिधि से ली जा सकती है।
4. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात् की जा सकेगी।
5. जिला स्तर पर आयोजित साहित्यिक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा।
6. किसी भी समूह प्रतियोगिता में 03 से कम एवं 05 से अधिक प्रतिभागी नहीं होंगे। एकल एवं समूह प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थानों हेतु न्यूनतम चार टीमों का होना आवश्यक है।
7. महाविद्यालय प्रत्येक गतिविधि में भाग लेने को बाध्य नहीं है।

आयुक्तालय/निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कैलेण्डर

क्र. सं.	नाम छात्रवृत्ति	नूतन/ नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदन पत्र छात्रों द्वारा पहुंचाने की अन्तिम तिथि	आवेदन पत्रों की जांच एवं जांच उपरान्त स्वीकृति जारी करने की अन्तिम तिथि	बिल आहरित कर डी.डी. बनवाकर भिजवाने की तिथि	संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति वितरण करने की तिथि
1.	स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों/आश्रितों को देय छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
2.	मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
3.	शोध छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
4.	मिलिट्री कालेज देहरादून छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
5.	कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
6.	ललितकला छात्रवृत्ति (संगीत)	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
7.	ललितकला छात्रवृत्ति (कला)	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
8.	भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
9.	उर्दू छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
10.	इण्डो पाक छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
11.	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर

12.	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
13.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
14.	अध्यापकों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
15.	मैरिन इंजिनियरिंग छात्रवृत्ति	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
16.	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	16 अगस्त	31 अगस्त	30 नवम्बर	31 दिसम्बर
17.	अनुसूचित छात्रवृत्ति	समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित तिथि	समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित तिथि	समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित तिथि	समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित तिथि
18.	अनुसूचित जन जाति छात्रवृत्ति				

शिक्षण दिवस सारिणी सत्र 2015–16

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान

माह	**रविवार**	**अन्य अवकाश**	**शिक्षण दिवस**	**विशेष विवरण**
जुलाई, 15	4	1	26	
अगस्त, 15	5	2	24	
सितम्बर, 15	4	3	23	
अक्टूबर, 15	4	4	23	दशहरा अवकाश 21.10.15 से 24.10.15
नवम्बर, 15	5	8	17	दीपावली अवकाश 07.11.15 से 14.11.15
दिसम्बर, 15	4	7	20	शीतकालीन अवकाश 24.12.15 से 31.12.15
जनवरी, 16	5	2	24	
फरवरी, 16	4	1	24	
मार्च, 16	–	–	–	वि.वि. परीक्षाएं
कुल शिक्षण दिवस			**181**	

1. शिक्षण कार्य प्रारम्भ — बुधवार — 01 जुलाई, 2015
2. अन्तिम शिक्षण दिवस — सोमवार — 29 फरवरी, 2016
3. सत्र का अन्तिम कार्य दिवस — शनिवार — 30 अप्रेल, 2016
4. परीक्षा अवधि — विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा सारिणी के अनुसार
5. ग्रीष्मावकाश — 1 मई 2016 से 30 जून 2016

तृतीय भाग

एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / रोवर रेंजर / वाई.डी.सी. / महिला प्रकोष्ठ / मानव अधिकार प्रकोष्ठ जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु नियम एवं कलैण्डर

- प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अंकित कराना होगा कि सत्र के दौरान उपरोक्त गतिविधियों में से किन–किन गतिविधियों में भाग लेना चाहते है।
- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों / व्याख्याताओं / अन्य कोई एजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर उन्हें वर्षभर संचालित होने वाली गतिविधियों में शामिल किया जावे।
- गतिविधिवार विद्यार्थियों की सूची आयुक्तालय के संबंधित समन्वयक को 5 अगस्त तक उपलब्ध करायी जावे।
- विद्यार्थी एक से अधिक गतिविधि में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होगें।
- परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।
- **प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई न कोई गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।**
- स्नातक पार्ट द्वितीय / तृतीय एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जावेगी। इस संबंध में समय–समय विभागीय वेबसाईट www.dce.rajasthan.gov.in पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारिणी
1. एन.सी.सी.	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3. रोवर–रेंजर	स्काउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
4. वाई.डी.सी. / महिला प्रकोष्ठ / उपभोक्ता क्लब / मानव अधिकार प्रकोष्ठ आदि गतिविधियां	आयुक्तालय / निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

Government of Rajasthan
Education (Group-3) Department

F. 1 (6) Edu.-3/2014/Pt. **Dated 10-06-2014**

Order

Admission to Government colleges/ Universities would be done henceforth in following manner:-

1. To ensure equivalence between different boards / universities percentile system should be followed instead of % of marks awarded from current year (2014-15) admissions.

2. To implement a percentile-based admission decision, details must be obtained from different Boards, preferably in following format:

Board :

Exam : Senior Secondary Examination Year:

Faculty		Arts		Science		Commerce	
Total No. of students passed		100,000 (say)		80,000 (say)		40,000 (say)	
Sl. No.	Percentile	Student - ranks in descending order	Marks obtained	Student - rank in descending order	Marks obtained	Student - ranks in descending order	Marks obtained
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Top 2 percentile (100 to 98) (0-2)	2000^{th} *	90.23% (say)	1600	91.42 (say)	800	88.37 (say)
2	Next 2 percentile (98 to 96) (2-4)	4000^{th}		3200		1600	
3.	Next 2 percentile (96 to 94) (3-6)						
4.							
5.							
6.							

10.6.14

Note:(1) *2% of total students, who passed the examination.

(2) For CBSE, it would be of all India total.

(3) For every year, it has to be a separate data-page, Board-wise / certifying authority-wise.

3. Candidates would be offered admission in descending order of merit as per position percentile as above.

To illustrate applicants in top 2 percentile would be admitted before anybody for next two percentile (i.e. 98- to 96) are offered and so on.

4. In case number of vacant seats after any 2 percentile band remains limited in number for next percentile band ; it will be decided dividing the band - spread proportionately.

For example:

(i) Suppose the percentile band position is as under (with total 100,000 students passing in Arts)

Percentile	Student rank	% Marks obtained
86 - to 84	16, 000	76.23
84 - to 82	18, 000	73.18

(ii) And (a) Total No. of Seats 100
(b) Students offered admission (till 84 percentile) 88
Balance seats 12

And in next 2 percentile band (i.e., 84 to 82) there are 30 applicants.

(iii) Hence, for the applicants, decision would be arrived at as under:

Calculation:			
	84 percentile Score	-	76.23
	82 percentile Score	-	73.18
	Difference	-	3.05

Dividing this band in 10 bands - differentials, we get as under:

83.8 $76.23\% - \frac{3.05}{10}$ = 76.195%

Mem
10.6.14

83.6	$76.195\% - \frac{3.05}{10}$	= 75.89%
83.4	$75.89\% - \frac{3.05}{10}$	=75.585%
83.2	$75.585\% - \frac{3.05}{10}$	=75.28 and so on

(iv) Accordingly, between any such single 2 percentile bands proportionate calculation will decide admission.

(v) In this example, an applicant in 84 to 83.8 percentile has to be awarded priority over the next band that is 83.8 to 83.6 and so on.

5. For Non-Rajasthan Applicants, following should be the procedure:

(1) Not more than 10% students shall be admitted from institutions outside Rajasthan. Such candidates should have secured a First Division (60%) and should be otherwise eligible.

This is subject to specified exemption to female candidates, and Central Government employees' children, as provided.

(2) Order of precedence:

(i) Rajasthan origin students and Non-Rajasthan		Ist Div. Students (in merit)
(ii) Rajasthan origin students	-	All qualifying
(iii) Non-Rajasthan students	-	Below Ist Div.

6. Above orders are in consonance with Sec. 4 A, Sec. 23 A (ii) and Ordinance (O) 81 of Rajasthan University, Jaipur and similar provisions in Acts, Statutes, Ordinances and Regulations of other Universities.

7.1 This is necessitated due to distortions prevailing in terms of different scale of marks obtained in 10th and 12th Board Examination. To illustrate; whereas topper in RBSE may score between 90-92%, topper in CBSE often scores close to 100%.

10.6.'14

7.2 This is to ensure justice to students passing out from State and other Boards including (RBSE) compared to Central Board of Secondary Education (CBSE) and Indian Council for Secondary Education (ICSE).

This is issued with the approval of competent authority.

(Dr. Shyam Agarwal) 10.6.14
ACS, Education

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Additional Chief Secretary to Hon'ble Governor of Rajasthan.
2. PS to Secretary to Hon'ble CM.
3. Special Assistant to Hon'ble Minister, Higher Education.
4. DS to Chief Secretary, Rajasthan.
5. PS to Additional Chief Secretary, Education.
6. Vice Chancellor, University of Rajasthan, Jaipur.
7. Vice Chancellor, Jai Narain Vyas University, Jodhpur.
8. Vice Chancellor, Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur.
9. Vice Chancellor, MDS University, Ajmer.
10. Vice Chancellor, MGS University, Bikaner.
11. Vice Chancellor, Kota University , Kota.
12. Commissioner, College Education Rajasthan, Jaipur.
13. Joint Secretary, Education (Gr-4).
14. Dy. Secretary , Higher Education.
15. Guard File.

10-6-14.
(K.L. Agrawal)
Dy. Secretary, Higher Education

COMMISSIONERATE COLLEGE EDUCATION, RAJASTHAN, JAIPUR

No. F 7(4)Acad/DCE/Adm.Policy/2014-15/ 85 Dated, 11 June, 2014

Copy to:

1. **All Principals, Govt. Colleges, Rajasthan for compliance in fresh Admission in U.G. Part-I for the year 2014-15.**
2. **Secretaries, All State Secondary Education Board of India with the request to send information as desired above at their earliest.**
3. **To the Secretary CBSE, New Delhi, with the request to send information as desired above at their earliest.**
4. **All Assistant Directors, Zonal Office College Education, Rajasthan to inform about the order to concerned colleges.**
5. **Website Incharge, College Education, Rajasthan, Jaipur.**

(Dr. Ranjeet Singh)
Joint Director (Academic)

Government of Rajasthan
Education (Group-3) Department

F. 1 (6) Edu.-3/2014/Pt. **Dated 19-06-2014**

Corrigendum

In continuation order of even number dated 10-06-2014 the following corrigendum is hereby issued:

3. Candidates would be offered admission in descending order of merit as per position percentile as above.

To illustrate applicants in top 2 percentile would be admitted before anybody for next two percentile (i.e. 98- to 96) are offered and so on.

Formula to calculate percentile of individual n^{th} candidate :

$$PCn = \frac{(M_{CnBy} - M_{LPBy})}{(M_{UPBy} - M_{LPBy})} \times PW + LPB$$

Where

PCn = Percentile Score of n^{th} Candidate

MCnBy = Score Percentage of Marks of n^{th} Candidate of Board 'B' in year 'y' (after necessary corrections as per prevalent rules and regulations)

MLPBy = Score Percentage of Lower Limit of Percentile Band of Board 'B' in year 'y'

MUPBy = Score Percentage of Upper Limit of Percentile Band of Board 'B' in year 'y'

PW = Percentile Width (in present case it is '2')

LPB = Lower Percentile Band (if band is between 98p and 96p, then LPB=96p)

4. (iii) Hence, for the applicants, decision would be arrived at as under:

Calculation:	84 percentile Score	-	76.23
	82 percentile Score	-	73.18
	Difference	-	3.05

Dividing this band in 10 bands - differentials, we get as under:

83.8 $\quad 76.23\% - \frac{3.05}{10} \quad = 75.925\%$

19.6.14

83.6	$75.925\% - \frac{3.05}{10}$	= 75.62%
83.4	$75.62\% - \frac{3.05}{10}$	= 75.315%
83.2	$75.315\% - \frac{3.05}{10}$	=75.01 and so on

7.3 This will also help in addressing issues of inter-temporal (between different years) distortion even within same Board. Hence the details (as per point 2) in order dated 10.6.2014, must be prepared separately Board wise and year wise.

Note : It is clarified that above order will be applicable for admission for session 2014-15 and henceforth to all Government & Private Colleges/ Universities with immediate effect.

This is issued with the approval of competent authority.

19.6.14

(Dr. Shyam Agarwal)
ACS, Education

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Additional Chief Secretary to Hon'ble Governor of Rajasthan.
2. PS to Secretary to Hon'ble CM.
3. Special Assistant to Hon'ble Minister, Higher Education.
4. DS to Chief Secretary, Rajasthan.
5. PS to Additional Chief Secretary, Education.
6. Vice Chancellor, University of Rajasthan, Jaipur.
7. Vice Chancellor, Jai Narain Vyas University, Jodhpur.
8. Vice Chancellor, Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur.
9. Vice Chancellor, MDS University, Ajmer.
10. Vice Chancellor, MGS University, Bikaner.
11. Vice Chancellor, Kota University , Kota.
12. President, All Private Universities in Rajasthan, along with a copy of order dated 10.06.2014
13. Commissioner, College Education Rajasthan, Jaipur.
14. Joint Secretary, Education (Gr-4).
15. Dy. Secretary , Higher Education.
16. Principal, All Private Colleges in Rajasthan, along with a copy of order dated 10.06.2014
17. Guard File.

19-06-14.

(K.L. Agrawal)
Dy. Secretary, Higher Education

COMMISSIONERATE COLLEGE EDUCATION,RAJASTHAN,JAIPUR

No.F 7(4)Acad/Dce/Adm.policy/2014-15/ 96 Dated 20 June, 2014

Copy to :

1. All Principals, Govt./Private Colleges, Rajasthan for compliance in fresh admission in U.G. Part-I for the year 2014-15.
2. All Assistant Directors, Zonal Office College Education, Rajasthan to inform about the order to concerned colleges.
3. Website Incharge, College Education, Rajasthan, Jaipur.

Joint Director
College Education, Rajasthan